संख्याः-06/2022/844/23-12-2021-1263(भूमि)/2013

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2022

विषयः- इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में बार्डर पिलर सं0-17 ग्राम बंदरभोज से बार्डर पिलर सं0-42 के शारदापुरी बाजार घाट तक लम्बाई 39.93 किमी0 का आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण कार्य का पुनरीक्षित आगणन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता,इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-119/आई0एन0बी0/2005 आई0एन0बी0/2013, दिनांक 10-03-2021 एवं पत्र संख्या-1448आई0एन0बी0/05आई0एन0बी0/2013, दिनांक 06-10-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासनादेश सं0-1683/23-12-2013-1263(भू0अ0)/2013, दिनांक 22.11.2013 द्वारा मूल स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में बार्डर पिलर सं0-17 ग्राम बंदरभोज से बार्डर पिलर सं0-42 के शारदापुरी बाजार घाट तक लम्बाई 39.93 किमी0 का आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 523.33 लाख (रू0 पांच करोड़ तेईस लाख तैतीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकी एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद	मार्ग का नाम	भूमि अधिग्रहण की स्वीकृत लम्बाई (किमी0)	भूमि अधिग्रहण की पुनरीक्षित वास्तविक लम्बाई (किमी0)	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत
1	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में बार्डर पिलर सं0-17 ग्राम बंदरभोज से बार्डर पिलर सं0-42 के शारदापुरी बाजार घाट तक	2.80	10.85	58.99	523.33

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी। परियोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) सेंटेज चार्ज/ अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही भुगतान/ जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(11) भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर कार्यदायी संस्था द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।

(12) उपरोक्त कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशो में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) उक्त कार्यों पर मार्ग निर्माण पर किये जाने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा एवं भूमि अध्याप्ति तथा पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग अनापत्ति प्राप्त करने के क्रम में किये जाने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(15) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) चूँकि वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है, अतः यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-दस/3616/2022, दिनांक 07 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

सं0-06/2022/844(1)/23-12-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री जी/मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी, पीलीभीत।
5. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता(मु0-1)/ इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. लोक निर्माण अनु0-10
9. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1,
10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-8,
11. डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, विकास भवन, जनपथ, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in